

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No. E(W) 2003/PS 5-8/1

New Delhi, Dated 29.01.2016

The General Managers(P)
&
The General Managers(Commercial),
All Indian Railways.

Sub: Family Identity Cards to retiring/retired railway employees.

Ref: Board's letter of even No. dated 16.03.2015.

In terms of Board's letter cited under reference, Family Identity Cards (FICs) are to be issued to retiring/retired railway employees and the Widows of railway employees with life time validity.

2. The issue of simplification of FICs, presently in the form of a booklet, was considered and with the approval of Board, it has been decided that individual FICs should be issued to the retiring/retired railway officials and the Widows of railway employees in the form of computer printed and laminated cards on the model enclosed as Annexure-I. As it is stipulated in the Pass Rules that the Railway Administration should issue FIC, for the first time simplified FICs may be issued free of cost. However, issue of duplicate FICs should be on receipt of a written request, accompanied by a copy of FIR filed on loss of the card and payment @ ₹25/- per card.

3. The Railways should commence issue of individual FICs within 2 months from the date of issue of these instructions. It has also been decided that in order to avoid any rush, FICs in the booklet form issued till March 2015 with 7 years validity may be replaced free of cost with individual FICs as and when they become due for renewal. However, if any retired official requests for individual FICs in lieu of old FIC before the expiry of validity, such requests may not be denied and individual FICs should be issued free of cost treating it as renewal. In case of officials who retired after April 2015 and got an FIC with life time validity, they may be allowed to get it replaced with individual FICs, free of cost, as per their convenience. FICs in the booklet form will, however, continue as a valid identity proof for travel on PRCP till its replacement with individual FICs in due course so that pensioners do not face any problem while travelling. Individual FICs for travel on Widow Passes may also be issued on the same model.

4. The following instructions issued vide Board's letter of even no. dated 04.06.2003 would continue to be in force:-

- (i) The identity card should be carried by the spouse/dependent children during journey and produced on demand by the Ticket Checking Staff.
- (ii) The FICs, will be issued by the office from where the employees retired.
- (iii) In case of retired employees/Widows drawing Post-retirement Complimentary Pass/Widow Pass from an office other than the office where the original FIC was issued, the renewal of the FIC shall be done by the authority who is issuing the pass to the applicant. For the purpose of renewal, the applicant shall submit the old FIC based on which renewal will be done.
- (iv) Any addition in the FIC shall be done only by the office who issued the FIC for the first time. Renewing authorities shall have no power to carry out any addition in FIC. However, deletion of eligible member in FIC on account of death, marriage of daughter, etc. may be allowed on request.

5. Aadhaar No., if available may be incorporated in the FICs as indicated in the format. Necessary action may be taken by the Railways accordingly.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.



(Sunil Kumar)
Director Establishment(Welfare)
Railway Board

Encl: Annexure-I.

No. E(W) 2003/PS 5-8/1

New Delhi, Dated 29.01.2016

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).



for Financial Commissioner/Railways

No. E(W) 2003/PS 5-8/1

New Delhi, Dated 29.01.2016

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhavan, N.Delhi
(with 35 spares)
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi.
(with 35 spares)
3. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi
(with 5 spares)
4. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association (with 5 spares)
5. The President, RBSS Group 'B' Officers' Association (with 5 spares)

6. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
7. The President, Indian Railway Class II Officers Association, Rail Nilayam, Secunderabad (with 5 spares)
8. The President, All India SC/ST Railway Employees Association, 7-GF, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association (with 5 spares)
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association (with 5 spares)
11. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi.


for Secretary/Railway Board

No. E(W) 2003/PS 5-8/1

New Delhi, Dated 29.01.2016

Copy forwarded to :-

1. The GM/N.F. Railway (Const.), CAOs, Southern Railway (Const.) and Central Railway(Const.).
2. The FA & CAOs, All Indian Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)
3. The Director General, RDSO/Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Kolkata.
5. The General Manager and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
7. The Director General, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
8. The CAO (Const.), MTP@/Mumbai
9. The CAO (Const.), MTP@/Chennai
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, Riset/Secunderabad.
12. The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR of India Limited & CRIS.
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited, Belapur Bhawan, Plot No.6, Section 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400 614.
14. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi
15. The Director (Movement), Railways/Kolkata
16. The Joint Director(Finance), RDSO, Lucknow
17. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence
18. The Joint Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street/Kolkata
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi
21. The Chairman, RCT/Delhi
22. The Chairman, RRT/Chennai
23. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.

...4/-

24. The Editor, 'Bhartiya Rail'
25. The Editor 'Indian Railways'
26. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
27. The General Secretary, IRCA/New Delhi
28. The Commissioner, Railway Safety/Lucknow
29. Liaison Officer, 5th CPC, Zonal Railways/PUs/RDSO/Trg. Institutes/Metro Railway/COMOW/CORE/RSC etc.
30. M/s Bahri Brother, Lajpat Rai Market/Delhi
31. CAO(C), S.E. Railway, Bilaspur-495004 (M.P.)
32. Editor, 'Rail Rajbhasha'.
33. The President, All India Retired Railwaymen's Federation, Railway Block No.303 Railway Colony High School Chilkalguda, Secunderabad 500 015,
34. The Secretary General,, National Federation of Railway Pensioners, 'Udayam', Kunnathurmedu, Palghat-678013.
35. The President, All India Retired Railway Officers Association, 12-5—149/6/C -- Vijayapuri Street, South Lallaguda, Secunderabad-500 017.
36. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.)698 Sector-7, Gurgaon.
37. The President, National Federation of Railway Pensioners, 27/578 Audityapuram,Palghat-678006
38. The President, National Federation of Railway Pensioners, 42/14 Motilal Street, T-Nagar, Madras 600 017..
39. The President, Railway Pensioner's Council, Katihar, Bihar.
40. The Secretary General, Bharat Pensioners' Samaj, Post Box 3303, Jangpura Extn., New Delhi - 110014.
41. Dy. FA&CAO, Traffic Accounts, Goods Section, Northern Railway, State Entry Road, New Delhi.
42. The Secretary General, Indian Railways Promotee Officers' Federation, 268, Rail Bhawan, New Delhi - 110001
43. Secretary General, National Federation of Railway Pensioners' Organization, 825, Supertech Residency, Sector-5, Plot No. 6A, Ghaziabad-201 010.


(Sunil Kumar)

Director Establishment(Welfare)
Railway Board

Copy to :-

PSOs, Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to : MR, MOS(R),CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG/RHS, DG/RPF, Secretary, All Additional Members, All Advisers, All Executive Directors, JS, JS(G), JS(E), D(GA), Dir(A), Dir./F(B), DEN, Dir.(MPP), DE(L), DE(GC), DE(GP), DS(E), DE(W), DEG, DPC, DE(N), DE(P&A), JDF(E), , JDE(Gaz), JDE(Res.) I, DS(Cash), DDPC III, IV & V, DDE(R)II, DDF(E) I, II & III,DDE(N) I & II,US(E), DDE(LR) I, II & III, DD/V-I, US/RB(W) Railway Board.

Branches : Cash - I, II, III, Budget, E(P&A) I & II, E(G), E(NG) I & II, PC - III,IV,V & VI, E(Trg.), E(MPP), E(LR) I & II, F(E) - I, II & III, Security (E), Security (ABE) & Special, Accounts III, ERB - I, II, III, IV, V & D, G(Pass), G(Acc), E(Welfare), E(SCT), E(O) I, II III & III(Special), E(GR) I & II, E(GP), E(GC), Code Revision Cell, O&M, PG, E(Rep)-I, II & III, PR, E(D&A), T(G)II, F(E) Special, V-I, V(C), C&IS Branches.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2003/पीएस 5-8/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.01.2016

महाप्रबंधक (कार्मिक)

एवं

महाप्रबंधक(वाणिज्यिक),

सभी भारतीय रेलें।

विषय: सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को परिवार पहचान-पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 16.03.2015 का समसंख्यक पत्र।

बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों की विधवाओं को जीवनपर्यन्त वैधता वाले परिवार पहचान-पत्र (एफआईसी) जारी किए जाने हैं।

2. परिवार पहचान-पत्रों, जो इस समय बुकलेट के रूप में हैं, के सरलीकरण के मामले पर विचार किया गया था और बोर्ड के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों की विधवाओं को अनुलग्नक-1 में संलग्न मॉडल के अनुसार कंप्यूटर मुद्रित और लेमिनेटेड कार्ड के रूप में व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र जारी किए जाएं। जैसाकि पास नियमों में रेल प्रशासन द्वारा परिवार पहचान पत्र जारी किया जाना नियमित है, अतः पहली बार सरलीकृत परिवार पहचान-पत्र निःशुल्क जारी किए जाएं। डुप्लीकेट परिवार पहचान-पत्र के लिए लिखित अनुरोध (जिसके साथ कार्ड के गुम हो जाने के संबंध में दायर की गई एफआईआर की प्रति संलग्न हो) प्राप्त होने पर और प्रति कार्ड ₹ 25/- की दर से भुगतान किए जाने पर डुप्लीकेट परिवार पहचान-पत्र जारी किया जाएगा।


3. रेलों द्वारा इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्रों को जारी करना आरंभ किया जाए। यह भी विनिश्चय किया गया है कि सभी लोगों द्वारा एक साथ ही इसकी मांग किए जाने की स्थिति से बचने के लिए मार्च, 2015 तक बुकलेट के रूप में जारी किए गए 7 वर्ष की वैधता वाले परिवार पहचान-पत्रों का जब कभी नवीकरण होना नियत हो तो उनके बदले व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र निःशुल्क बनाए जाएं। बहरहाल, यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी वैधता समाप्त होने से पूर्व पुराने परिवार पहचान-पत्र के बदले व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र के लिए अनुरोध करता है तो ऐसे अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जाए और इसे नवीकरण की तरह ही मानते हुए व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र निःशुल्क जारी किए जाएं। अप्रैल, 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारी जिनके पास जीवनपर्यन्त वैधता वाला परिवार पहचान-पत्र है, उनको उनकी सुविधानुसार व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र निःशुल्क जारी करवाने की अनुमति दी जाए। बहरहाल, बुकलेट वाले परिवार पहचान पत्रों को यथासमय व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्रों में बदले जाने तक बुकलेट वाले परिवार पहचान-पत्र पीआरसीपी पर यात्रा करने के लिए वैध पहचान प्रूफ रहेंगे, ताकि यात्रा करते समय पेंशनरों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार विधवा पासों पर यात्रा के लिए भी व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र जारी किए जाएं।

4. बोर्ड के दिनांक 04.06.2003 के समसंख्यक पत्र के तहत जारी किए गए निम्नलिखित अनुदेश लागू रहेंगे:-

- (i) यात्रा के दौरान यह पहचान-पत्र पति/पत्नी/आश्रित बच्चों के पास होना चाहिए और टिकट चेंकिंग स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ii) जिस कार्यालय से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हों उस कार्यालय से परिवार पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
- (iii) उस कार्यालय, जहां से मूल परिवार पहचान-पत्र जारी किया गया था, से इतर कार्यालय से सेवानिवृत्ति उपरान्त मानार्थ पास/विधवा पास पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं के मामले में परिवार पहचान-पत्रों का नवीकरण उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो आवेदक को पास जारी कर रहा है। नवीकरण के प्रयोजन के लिए आवेदक को पुराना परिवार पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर नवीकरण किया जाएगा।
- (iv) परिवार पहचान-पत्र में कोई भी परिवर्धन केवल उसी कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा जिसने पहली बार परिवार पहचान-पत्र जारी किया हो। नवीकरण करने वाले प्राधिकारियों को परिवार पहचान-पत्र में कोई परिवर्धन करने का अधिकार नहीं होगा। बहरहाल, मृत्यु, पुत्री के विवाह आदि के कारण परिवार पहचान-पत्र में पात्र सदस्य का नाम हटाने का अनुरोध किए जाने पर नाम हटा दिया जाए।

5. फॉर्मेट में दिए गए अनुसार आधार नं., यदि उपलब्ध हो तो इसे परिवार पहचान पत्रों में शामिल किया जाए। तदनुसार, रेलों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए।

6. यह पत्र रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(सुनील कुमार)

निदेशक स्थापना (कल्याण)

रेलवे बोर्ड


संलग्नक: अनुलग्नक-1

सं. ई(डब्ल्यू)2003/पीएस 5-8/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.01.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

भारत के उप निबंधक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।



कृते वित्त आयुक्त/रेलें


सं. ई(डब्ल्यू)2003/पीएस 5-8/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.01.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियों सहित)।
4. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।

6. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियों सहित)।
7. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलयम, सिकंदराबाद (5 प्रतियों सहित)।
8. अध्यक्ष, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, 7-जीएफ, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV कर्मचारी एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।


कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू)2003/पीएस 5-8/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.01.2016

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिण रेल (निर्माण) और मध्य रेल (निर्माण)।
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण) और दक्षिण रेल (निर्माण)।
3. महाप्रबंधक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
4. महाप्रबंधक एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, मेट्रो रेल, कोलकाता।
5. महाप्रबंधक एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कॉफमो, नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कोर/इलाहाबाद।
7. प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), एमटीपी (आर), मुंबई।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), एमटीपी (आर), चेन्नै।
10. निदेशक, कैमटैक/ग्वालियर-474020.
11. निदेशक, इरिसेन/पुणे, इरीन/नासिक रोड, इरिमी/जमालपुर, इरिसेट/सिकंदराबाद।
12. प्रबंध निदेशक, राइट्स, इरकॉन, आईआरएफसी, कॉनकोर ऑफ इंडिया लिमिटेड, कार्य. निदे, क्रिस।
13. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कॉकण रेल कॉर्पोरेशन निगम, बेलापुर भवन, प्लॉट नं.6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400614.
14. मुख्य परियोजना प्रशासक का कार्यालय (दूरसंचार), इंडियन रेलवे सेंट्रल आर्गनाइजेशन फॉर टेलीकॉम (इरकॉट) कन्सलटेंसी, शिवाजी ब्रिज/ नई दिल्ली।
15. निदेशक (संचलन) रेलें/कोलकाता।
16. संयुक्त निदेशक (वित्त), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
17. संयुक्त निदेशक, मिल रेल, रक्षा मंत्रालय।
18. संयुक्त निदेशक, आयरन एवं स्टील, 3, कोयला घाट स्ट्रीट/कोलकाता।
19. मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद, बिहार।
20. अध्यक्ष, आर.सी.सी., लोकसभा सचिवालय/नई दिल्ली।
21. अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली।
22. अध्यक्ष, आरआरटी/चेन्नै।

23. अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलूरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम।
24. संपादक, "भारतीय रेल"।
25. संपादक, "इंडियन रेलवे"।
26. वेतन एवं लेखाधिकारी, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड)
27. जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए/नई दिल्ली।
28. रेल संरक्षा आयुक्त/लखनऊ।
29. रेलवे सलाहकार, भारतीय दूतावास, बॉनसेडिट स्ट्रेश-7/बर्लिन।
30. संपर्क अधिकारी, 5वां केन्द्रीय वेतन आयोग, क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयां/अ.अ.मा.सं./प्रशिक्षण संस्थान/ मेट्रो रेलवे/काँफमो/कोर/रेलवे स्टाफ कॉलेज आदि।
31. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, लाजपत राय मार्केट/नई दिल्ली।
32. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), दक्षिण पूर्व रेलवे, बिलासपुर- 495004 (मध्य प्रदेश)।
33. संपादक, 'रेल राजभाषा'।
34. अध्यक्ष, आल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन, रेलवे ब्लॉक नं. 303, रेलवे कॉलोनी हाई स्कूल चिलकलगुडा, सिकंदराबाद-500015.
35. सेक्रेटरी जनरल, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पेंशनर्स, 'उदयम', कनाथूरमेडू, पालघाट-678 013.
36. अध्यक्ष, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, 12-5-149/6/सी- विजयापुरी स्ट्रीट, साउथ लालगुडा, सिकंदराबाद-500 017.
37. जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे इंप्लॉईज वेल्फेयर एसोसिएशन (रजि.) 698 सेक्टर-7, गुडगांव।
38. अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पेंशनर्स, 25/578 आदित्यपुरम, पालघाट- 678006
39. अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पेंशनर्स, 42/14 मोतीलाल स्ट्रीट, टी-नगर, मद्रास 600 017.
40. अध्यक्ष, रेलवे पेंशनर्स काउंसिल, कटिहार, बिहार।
41. सेक्रेटरी जनरल, भारत पेंशनर्स समाज, पोस्ट बॉक्स 3303, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 014.
42. उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, यातायात लेखा, गुड्स सेक्शन, उत्तर रेलवे, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
43. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, 268, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
44. श्री के. हसन, सेक्रेटरी जनरल, 825, सुपरटेक रेजिडेंसी, सैक्टर-5, प्लाट नं. 6ए, गाजियाबाद- 201 010.



(सुनील कुमार)



निदेशक स्थापना (कल्याण)

रेलवे बोर्ड

परिवार पहचान पत्र नमूना/MODEL FAMILY IDENTITY CARD


(पहचान- पत्र द्विभाषी हो तथा इसका आकार 9.5x5.5 सेमी हो)
(Identity Card must be bilingual and of the size of 9.5x5.5 cm)

(i) सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लिए/For Retired Railway Official

परिवार पहचान पत्र का अग्र भाग/Front side of FIC	
भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड	 Government of India Ministry of Railways Railway Board
सं./No. _____	
सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी का पहचान पत्र/ RETIRED RAILWAY OFFICIAL'S IDENTITY CARD	
नाम/ Name : सेवानिवृत्ति के समय पद/ Post held on Retirement : आरयूआईडी/ RUID : आधार संख्या/ Aadhaar No. : जन्म तिथि/ Date of Birth :	 फोटो/ Photo
जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम Signature & Designation of Issuing Officer	
कार्डधारक के हस्ताक्षर/ Sign. Of Card holder	

परिवार पहचान पत्र का पिछला भाग/Back side of FIC			
निवास पता Res. Add.			
दूरभाष संख्या Tel No.:	रक्त ग्रुप/Blood Group:		
परिवार के अन्य सदस्यों का ब्यौरा जो पीआरसीपी के लिए पात्रता रखते हैं/ Details of other family members eligible for PRCP.			
क्रम सं./ S.No.	नाम/Name	जन्म तिथि/ Date of Birth	संबंध/ Relationship
अनुदेश/Instructions			
यह कार्ड सेवानिवृत्त मानार्थ पास(पीआरसीपी) पर यात्रा करते समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए और यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए मान्य नहीं है. इस कार्ड और/या पीआरसीपी का दुरुपयोग करने पर सुविधा रद्द या स्थायी रूप से वापस ले ली जाएगी. यह कार्ड अहस्तांतरणीय है. इस कार्ड के गुम होने की सूचना पुलिस और जारीकर्ता प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए. यदि किसी को यह पहचान पत्र मिले तो कृपया इसे जारी करने वाले प्राधिकारी, रेल भवन, नई दिल्ली 110001 को लौटा दें.			
This Card must be produced while travelling on Post Retirement Complimentary Pass (PRCP) and is not valid for any other purpose. Misuse of this Card and/or PRCP will cause cancellation/permanent withdrawal of the facility. This Card is not transferable. Loss of this Card should be reported to the Police and Issuing Authority. If found, please return to the Issuing Authority, Rail Bhawan, New Delhi-110001.			

- (ii) सेवानिवृत्त कर्मियों के पति/पत्नी/ परिवार के पात्र सदस्य/सदस्यों के लिए
(प्रत्येक पात्र सदस्य को अलग-अलग कार्ड जारी किया जाए.)/
For Spouse/eligible family member(s) of retired official
(individual Card to be issued to each eligible member)

परिवार पहचान पत्र का अग्र भाग/Front Side of FIC		
भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड	 Government of India Ministry of Railways Railway Board	सं./No. _____
सेवानिवृत्त रेलकर्मियों का पारिवारिक पहचान पत्र/ RETIRED RAILWAY OFFICIAL'S FAMILY IDENTITY CARD		
कार्ड धारक का नाम/ Name of Card Holder :		कार्डधारक की फोटो/ Photo of Card holder
आधार संख्या/ Aadhaar No. :		
जन्म तिथि/ Date of Birth :		
सेवानिवृत्त रेलकर्मियों का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर/ Name, Designation on retirement & Signature of retired official :		
सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के साथ कार्ड धारक का संबंध/ Relationship of card holder With retired official :		
जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम Signature & Designation of Issuing Authority		

परिवार पहचान पत्र का पिछला भाग/Back side of FIC	
निवास पता Res. Add.	
दूरभाष संख्या Tel No.:	ब्लड ग्रुप/Blood Group:
अनुदेश/Instructions	
यह कार्ड सेवानिवृत्त मानार्थ पास(पीआरसीपी) पर यात्रा करते समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए और यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए मान्य नहीं है. इस कार्ड और/या पीआरसीपी का दुरुपयोग करने पर सुविधा रद्द या स्थायी रूप से वापस ले ली जाएगी. यह कार्ड अहस्तांतरणीय है. इस कार्ड के गम होने की सूचना पुलिस और जारीकर्ता प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए. यदि किसी को यह पहचान पत्र मिले तो कृपया इसे जारी करने वाले प्राधिकारी, रेल भवन, नई दिल्ली 110001 को लौटा दें.	
This Card must be produced while travelling on Post Retirement Complimentary Pass (PRCP) and is not valid for any other purpose. Misuse of this Card and/or PRCP will cause cancellation/permanent withdrawal of the facility. This Card is not transferable. Loss of this Card should be reported to the Police and Issuing Authority. If found, please return to the Issuing Authority, Rail Bhawan, New Delhi-110001.	